

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 2700/2026

Shobhagya Singh S/o Late Shri Arjun Singh

-----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Sahil Desuja, Adv. for Mr. Dinesh Kala, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

30/04/2026

अयाची क्रम-1 राज्य की ओर से विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उपस्थिति दी गई, जिन्हें निर्देश दिया जाता है कि आगामी पेशी पर अनुसंधान के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

अयाची क्रम-2/परिवादी को नियमानुसार नोटिस जारी किये जावें।

अंतरिम आदेश पर सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता याची-अभियुक्त का निवेदन है कि मामला आपसी लेन-देन का होकर सिविल प्रकृति का है, अनावश्यक रूप से आपराधिक रंग देकर कानूनी व न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है तथा पुलिस अकारण अभियुक्त को गिरफ्तार करने पर आमादा है।

अभिलेख के अवलोकन से प्रकट हुआ है कि परिवादी द्वारा वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट के माध्यम से यह आरोप लगाया गया है कि उसने लाभ प्राप्त करने के लिए अभियुक्त को राशि उधार दी थी, लेकिन लाभांश अथवा मूल राशि नहीं लौटाई गई।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि याची-अभियुक्त आज से पंद्रह दिवस में संबंधित अनुसंधान अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निरंतर अनुसंधान में सहयोग करे, इसी शर्त

के अधीन पुलिस थाना—करौली, जिला—करौली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—115/2026 में अभियुक्त की गिरफ्तारी पर आगामी पेशी तक रोक लगाए जाने का अंतरिम आदेश दिया जाता है।

प्रकरण तीन सप्ताह पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT/ 65